

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/378/09 पार्ट-II-06/19-20^{५६} /राँची, दिनांक 25.06.2019

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०-हिनू, राँची।

द्वारा :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- e-Governance के अन्तर्गत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु रु० 21.72 लाख (रुपये एककीस लाख बहत्तर हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

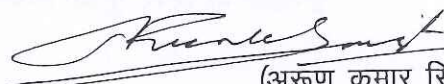
आदेश-स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग में e-Governance के अन्तर्गत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु रु० 21.72 लाख (रुपये एककीस लाख बहत्तर हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. e-Governance के अन्तर्गत 13 अदद डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के वर्ष 2019-20 (दिनांक 02.04.2019 से 30.09.2019 तक) के लिए भुगतान से संबंधित विवरणी परिशिष्ट-I पर संलग्न है।
3. विभागीय पत्रांक-1455, दिनांक 24.04.2019 द्वारा e-Governance मद में 13 अदद डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को कार्य पर रखे जाने संबंधित आदेश संसूचित है।
4. इस कार्य पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष -80 - सामान्य, लघु शीर्ष 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष - 70 - ई-गवर्नेन्स विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59- अन्य व्यय के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
5. इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
6. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
7. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत रहेगा।
8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
9. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
10. राज्यादेश के प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिनू, राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


(अरुण कुमार सिंह) 8-6-19

सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/378/09 पार्ट-II-06/19-20 / राँची, दिनांक 25.06.2019

प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/अपर मुख्य सचिव, योजना -सह- वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/6/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/378/09 पार्ट-II-06/19-20 / राँची, दिनांक 25.06.2019

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/6/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/378/09 पार्ट-II-06/19-20 / राँची, दिनांक 25.06.2019

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/6/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/378/09 पार्ट-II-06/19-20 / राँची, दिनांक 25.06.2019

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (मो०), राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०-3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु /कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के उपस्थिति विवरणी के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

20/6/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/378/09 पार्ट-II-06/19-20 / राँची, दिनांक 25.06.2019

प्रतिलिपि :- मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

20/6/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव